

कार्य-वृत्ति

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2017 के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से सम्बन्धित दावे/आपत्तियों/सुझावों के सम्बन्ध में समस्त राजनैतिक दलों के अध्यक्षों/प्रतिनिधियों एवं समस्त उप जिलाधिकारियों की दिनांक 08.09.2016 को कलेक्ट्रेट सभागार, जनपद प्रतापगढ़ में अपरान्ह 4.00 बजे जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी, जिसकी उपस्थिति निम्नवत् है:-

1. श्री लाल बहादुर तिवारी, जिला सचिव, मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी
2. श्री अजय प्रताप सिंह, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी
3. श्री राजमणि पाण्डेय, प्रतिनिधि, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी
4. श्री मो० फजलुर्रहमान खान, प्रतिनिधि, समाजवादी पार्टी
5. श्री गिरीश चन्द्र उपाध्याय, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
6. श्री बीरेन्द्र पाण्डेय, महा सचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
7. श्री आजाद अली (पप्पू), अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल
8. श्री एस०बी० राय, उप जिलाधिकारी, सदर
9. श्री महेन्द्र कुमार सिंह, तहसीलदार, पट्टी
10. श्री ए०के० श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी, कुण्डा
11. श्री आर०पी० तिवारी, उप जिलाधिकारी, लालगंज
12. श्री जे०एन० यादव, जिला सूचना अधिकारी, प्रतापगढ़।
13. श्री एस०पी० बरनवाल, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
14. जिला निर्वाचन कार्यालय के समस्त सहायक

बैठक की अध्यक्षता: जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय ने दिनांक 08.09.2016 को आयोजित बैठक में उपस्थित समस्त अध्यक्षों/प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/प्रतिनिधियों का परिचय लिया। तदोपरान्त अर्हता तिथि 01.01.2017 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गयी तथा आयोग द्वारा निर्धारित विशेष अभियान की तिथियों एवं ग्राम सभा/स्थानीय निकायों, रेजीडेण्ट वेलफेयर एसोसिएशन आदि की बैठक में मतदाता सूचियों के पढ़े जाने आदि के विषय में विधिवत जानकारी दी गयी।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय ने सभी उपस्थित राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/प्रतिनिधियों को बताया कि जनपद में 159 नये मतदेय स्थल का अनुमोदन भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय ने सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/प्रतिनिधियों से कहा कि आपको मतदेय स्थलों की सूची उपलब्ध करा दी गयी है। सभी मतदेय स्थलों पर आप अपने-अपने बी०एल०ए० नियुक्त कर लें और यह जानकारी दी गयी है संबंधित बी०एल०ए० उसी मतदेय स्थल का मतदाता होना चाहिए और एक बी०एल०ए० एक बार में 10 फार्म और पूरे पुनरीक्षण अवधि में 30 फार्म बी०एल०ओ० के पास जमा कर सकते हैं। विशेष अभियान के दिनों में बी०एल०ओ० के साथ बी०एल०ए० भी बैठ सकते हैं।

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के प्रतिनिधि ने कहा कि बी0एल0ओ0 ने मतदाता कम कर दिया है तथा यह भी जानकारी चाही कि क्या फार्म तहसील में जमा करा दिया जाय ? जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी श्री अजय प्रताप सिंह ने सुझाव दिया कि तहसील मुख्यालयों पर भी प्रारूप-6 जमा करने की व्यवस्था की जाय। जिला जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि फार्म संबंधित बी0एल0ओ0 के पास जमा कर दें तथा प्रश्नगत पुनरीक्षण में दावे/आपत्तियों की सूची प्रति सप्ताह आपको उपलब्ध करायी जायेगी

इस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी से पुनः अनुरोध किया गया कि अर्ह मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने, मतदाता सूची में विद्यमान त्रुटियों को सही कराने आदि पुनरीक्षण कार्य में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। अन्त में जिलाधिकारी महोदय ने सधन्यवाद सहित बैठक की समाप्ति की घोषणा की।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
प्रतापगढ़

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़

संख्या: 507 / वि0सं0पु0-2017/2016

दिनांक 0 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़ को अवलोकनार्थ।
3. समस्त मा0 अध्यक्ष, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, जनपद प्रतापगढ़।
4. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद प्रतापगढ़।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
प्रतापगढ़